PBC No. 156/ 2026
RBE No. 81/2026

दि णरेलवे Southern Railway
धानमु कामिकअधिकारी कायालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
धान कायालय, कामिक विभाग, चे ै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/ No: P(R)436/IREM/Vol.VII दिनांक/Dated: As signed

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA,
Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM,
Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS,
Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD,
DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub: Age limit for Direct Recruitment to the post of Station Master - Amendment to Pare 122 (2)(ii) of IREM Vol.I.

A copy of the Railway Board's letter No.E(NG)II/2026/RR-1/31 dated 07.10.2026 along with Advance Correction Slip No.297 (Para 122(2)(ii)) Indian Railway Establishment Manual Volume-I on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 16.02.2018 (RBE No.22/2018) referred to therein has been circulated as PBC No. 26/2018.

संल क/Encl. 07 pages

Digitally signed by
CHILAKALAPUDI ANJANI KUMAR
'Date: 2026.10.21 15:35:01 +05'30

सहायककमचारीसंबंधीअधिकारी/Asst Personnel Officer /IR&Trg.

कृते मुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

तिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary / DREU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

RBE No. 81/2026

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)II/2026/RR-1/31 **New Delhi, dated: 07.10.2026**

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units,
Chairpersons/Railway Recruitment Boards (RRBs).

Sub: Age limit for direct recruitment to the post of Station Master.

Ref: Board's letter No. E(NG)I-2016/PM 1/12 dated 16.02.2018 (RBE No.22/2018)

Attention is invited to the provisions contained in Para 122(2)(ii) of Chapter-I of Indian Railway Establishment Manual (IREM), Volume-I, prescribing the age limit for direct recruitment to the post of Station Master as 18–30 years.

2. It has now been decided by the Board to increase the lower age limit for direct recruitment to the post of Station Master from 18 to 20 years.

3. This amendment will be applicable from the date of issue of this letter. Cases already under process (where centralized employment notification has already been issued) will continue to be dealt in terms of earlier recruitment rules.

4. Indian Railway Establishment Manual, Volume-I may be amended by incorporating the above change as per Advance Correction Slip No. 297, enclosed.

5. This issues with the approval of the competent authority.

Please acknowledge receipt.

DA: ACS No.297

(U.K.Tiwari)
Director, Estt.(N)
Railway Board

Tele No.011-23047206

No. E(NG)II/2026/RR-1/31 **New Delhi, dated: 07.10.2026**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).

Contd./-

2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Railway Board (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), New Delhi.

For Principal Executive Director (IR)/ Railway Board

Copy to:

PSs to MR, MOSR.

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra.), M(T&RS), M(O&BD), DG/HR, DG/RHS, DG/RPF, DG/Safety, Secretary/Railway Board

PPSs to AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(RS), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staffs), PED(HR), PED(Vig.), PED(Infra), PED(IR), PED(Safety), PED(PC), PED/E(NG)

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDME(W), EDERS(G), EDE(Res), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)I, DE(R), DE(D&A), DE(LL), DE(RRB), DE-II(RRB)

JD(OL), JDE(Rep.), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR), DDE(LR)III, DDE(GR)II, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)I, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT)II, E(RRB), PC-VII, C-VI, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, EG(RR), CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/c-III and Code Revision Cell.

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I

(Revised Edition 1989)

Advance Correction Slip No. 297

Chapter-1, Section-B, Sub-Section-III- Recruitment and Training.

I. TRANSPORTATION (TRAFFIC) DEPARTMENT

(i) STATION MASTERS

The existing Para 122 (2) [ii] is amended to read as under:-

122 (2) [ii] Age: Between 20-30 years with prescribed relaxations.

(Authority Railway Board's letter No. E(NG)II/2026/RR-1/31 dated 07.10.2026 (RB No. 81 /2026))

आरबीई सं. 81/2026

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)II/2026/आरआर-1/31 **नई दिल्ली, दिनांक: 07.10.2026**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)।

विषय: स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.02.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2016/पीएम 1/12 (आरबीई सं. 22/2018)

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I के अध्याय-I के पैरा 122(2)(ii) में निहित उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18-30 वर्ष निर्धारित की गई है।

2. अब बोर्ड द्वारा स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है।

3. यह संशोधन इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा। पहले से प्रक्रियाधीन मामलों (जहां केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना पहले से जारी की जा चुकी हैं) को पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 297 के अनुसार उपरोक्त परिवर्तन को शामिल करके संशोधित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 297

(यू.के.तिवारी)
निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं.011-23047206

सं. ई(एनजी)II/2026/आरआर-1/31 **नई दिल्ली, दिनांक : 07.10.2026**

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. -256ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।

3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ फेड्रेशन (एआईओबीसीआरईएफ), नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

रेलमंत्री, रेल राज्य मंत्री के निजी सचिव

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य (वित्त), सदस्य (अवसंरचना), सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक), सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा। महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, महानिदेशक/संरक्षा, सचिव रेलवे बोर्ड के प्रधान निजी सचिव।

अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (सिविल इंजी.), अपर सदस्य (कंप्यूटर एवं सूचना प्रणाली), अपर सदस्य (बिजली), अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाई), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (रेल भंडार), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (निर्माण), अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), अपर सदस्य (कार्मिक), प्रधान कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता), प्रधान कार्यपालक निदेशक (अवसंरचना), प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध), प्रधान कार्यपालक निदेशक (संरक्षा), प्रधान कार्यपालक निदेशक (वेतन आयोग), प्रधान कार्यपालक निदेशक/स्था. (अराज.) के प्रधान निजी सचिव।

कार्यपालक निदेशक/संरक्षा (यांत्रिक), कार्यपालक निदेशक सिविल इंजी. (जी), कार्यपालक निदेशक (ई एंड आर.), कार्यपालक निदेशक स्थापना, कार्यपालक निदेशक यां.इंजी. (डब्ल्यू), कार्यपालक निदेशक स्थापना आर.एस (जी), कार्यपालक निदेशक स्थापना. (आ.), कार्यपालक निदेशक स्थापना. (आरआरबी), कार्यपालक निदेशक वित्त (ब.), कार्यपालक निदेशक (रे.वि.), कार्यपालक निदेशक/ट्रैक (एम), कार्यपालक निदेशक वित्त (व्य.)I, कार्यपालक निदेशक वित्त (व्य.)II, कार्यपालक निदेशक (स्वा.), कार्यपालक निदेशक स्थापना (राज.संवर्ग), कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी), निदेशक वेतन आयोग-II, निदेशक स्थापना (जी), निदेशक (औ.स्वा.), निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), निदेशक (एमपीपी), निदेशक स्थापना (अराज.) I, निदेशक स्थापना (आरक्षण), निदेशक स्थापना (अनुशासन एवं अपील), निदेशक स्थापना (श्रम कानून), निदेशक स्थापना (रे.भ.बो.), निदेशक स्थापना-II (रे.भ.बो.) के निजी सचिव।

निदेशक वेतन आयोग-II, निदेशक स्थापना (जी), निदेशक (आईएच), निदेशक (एच एंड एफडब्ल्यू), निदेशक (एमपीपी), निदेशक स्थापना (एन)II, निदेशक स्थापना (आर), निदेशक स्थापना (डी एंड ए), निदेशक स्थापना (एलएल), संयुक्त निदेशक (रा.भा.), संयुक्त निदेशक स्थापना (रिप.), संयुक्त निदेशक स्थापना

(आरआरबी), उप निदेशक (संहिता संशोधन), उप निदेशक स्थापना (एलआर) I, उप निदेशक स्थापना (एलआर) II, उप निदेशक स्थापना (एलआर) III, उप निदेशक सतर्कता (ए एंड पी), उप निदेशक (रा.भा.) I, स्थापना (एनजी) II, स्थापना (रिप.) I, स्थापना (रिप.) II, स्थापना (रिप.) III, स्थापना (एससीटी) I, स्थापना (एससीटी) II, स्थापना (आरआरबी), पीसी-III, पीसी-IV, पीसी-V, स्थापना (पी एंड ए) I, स्थापना (पी एंड ए) II, सिविल इंजी.-I, सिविल इंजी.-II, सिविल इंजी.-III, सुरक्षा (ई), सुरक्षा (स.मै.स्था), स्थापना (एमपीपी), संरक्षा शाखा, लेखा-III एवं संहिता संशोधन कक्ष।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I

(संशोधित संस्करण, 1989)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 297

अध्याय-1, खंड-ख, उप-खंड-III- भर्ती और प्रशिक्षण

I. परिवहन (यातायात) विभाग

(i) स्टेशन मास्टर

मौजूदा पैरा 122 (2) [ii] संशोधित किया है, इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए: -

122 (2) [ii] आयु: निर्धारित रियायतों के साथ 20-30 वर्ष के बीच।

(प्राधिकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 07.10.2026 का पत्र सं. ई (एनजी) II/2026/आरआर-1/31 (आरबी सं. 81 /2026)